

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

21/7/04

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित
दिनांक 21/7/04 को प्राप्त।

REGD. NO. D. L.-33004/99



धर्म धन धन

प्रभारी
राजपत्र वितरण एक

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARYभाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Po-350

RM-30

Delhi-100

CPB-220

सं. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2004/आषाढ़ 25, 1926

No. 297]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2004/ASADHA 25, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2004

पूरा किया

सा.का.नि. 452(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और उसके काडर इकाई में समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और उसके काडर इकाई समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—

(क) ज्येष्ठ कर सहायक : (i) इन नियमों के प्रारंभ के समय ऐसे सभी व्यक्ति जो सहायक श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, उन्हें इन नियमों के अधीन ज्येष्ठ कर सहायक के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व इनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता के निर्धारण करने के लिए गणना में ली जाएगी।

(ii) विद्यमान कर्मचारियों से कम्प्यूटर उपयोजन और सुसंगत प्रक्रियाओं में ऐसी अपेक्षित या उपयुक्त विभागीय परीक्षा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए दो वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके न हो सकने पर वे आगे की वेतन वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) कर सहायक : (i) नियमित आधार पर नियुक्त और इन नियमों के प्रारंभ पर ऐसे धारण करने वाले उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर इन नियमों के अधीन कर सहायक के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अपने-अपने पदों पर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की गई सेवा कर सहायक के पद पर प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी;

(ii) कोई व्यक्ति जो निम्न श्रेणी लिपिक का पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं और इन नियमों के प्रारंभ पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता सूची के भीतर आता है नियुक्त प्राधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से कर सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया समझा जाएगा।

(iii) उच्च श्रेणी लिपिक सामूहिक रूप से ज्येष्ठ रखे जाएंगे। निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक से नीचे रखे जाएंगे।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ कर सहायक	55* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिधीय	5000-150- 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा	वाले व्यक्तियों	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण/ आमेलन किया जाएगा			
11			12		
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : ऐसे कर सहायक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और कम्प्यूटर उपयोजन और सुसंगत प्रक्रिया में समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी पात्रता सेवा, अपेक्षित पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।			

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता।

1. निरीक्षणक महानिदेशक —अध्यक्ष
2. अपर निदेशक (प्रशासन) —सदस्य
3. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य
4. सहायक आयुक्त आयुक्त —सदस्य

टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
2. कर सहायक	82* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
20—27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम शैक्षिक अर्हता किसी विद्या में स्नातक हो। (ii) डाटा एंट्री में 8000 की दबाव प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

11	12
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हेड हवलदारों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की है और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं, अर्थात् :— (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता, और (ख) डाटा एंट्री में 5000 की दबाव प्रति घंटा की गति हो और हिन्दी या अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट के ज्ञान के साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

लागू नहीं होता।

- टिप्पण :** जहाँ कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयक किया जाएगा।

13	जनजाति समिति :— निदेशक महा-निदेशक सदस्य (प्रशासन) सदस्य (प्रशासन) सदस्य (प्रशासन)	14	लागू नहीं होता।
यहाँ कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो यहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।			

1	2	3	4	5	6
4. उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-II	17* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसे उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II या ज्येष्ठ कर सहायक के रैंक के अधिकारियों में से जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के आयुक्तालय में 5000—8000 रु. के वेतनमान में कार्यरत रहे हों, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु, निरीक्षण महानिदेशालय और संबंधित काडर इकाइयों के विभागाध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।				
13	14				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				
1	2	3	4	5	6
5. आशुलिपिक श्रेणी-2	25* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	निरीक्षण महानिदेशालय और उसके काडर इकाइयों में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-III में से जिसने आशुलिपिक श्रेणी-III के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, प्रोन्नति द्वारा। निम्न में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण। (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के आयुक्तालय में 5000—8000 रु. के वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिक श्रेणी-II की पंक्ति के अधिकारी, (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के आयुक्तालय में 4000—6000 रु. के वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिक श्रेणी-III की पंक्ति के श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिंदी) में 100 शब्द मिनट की गति हो और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति या हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। टिप्पण 1 :—उन पदों के लिए जो कि दिल्ली क्षेत्र के बाहर स्थित जोनल इकाई के लिए आवंटित हैं, प्रतिनियुक्ति की पद्धति अनन्य रूप से है। टिप्पण 2 :—प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु निरीक्षण महानिदेशालय और विभागाध्यक्ष के संबंधित काडर इकाई द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।				

13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता।			
1.	निरीक्षणक महानिदेशक	—अध्यक्ष			
2.	अपर निदेशक (प्रशासन)	—सदस्य			
3.	उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य			
4.	सहायक आयुक्त आयुक्त	—सदस्य			
टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।					
1	2	3	4	5	6
6.	आशुलिपिक श्रेणी-3	20* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता
7	8		9		10
18—25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है।)	(i) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य (ii) अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट		लागू नहीं होता		दो वर्ष
टिप्पण-आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।					
11	12				
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के आयुक्तालय में 4000—6000 रु. के वेतनमान में कार्यरत आशुलिपिक-III के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।				
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं रखते हों।	टिप्पण 1 :—उन पदों के लिए जो कि दिल्ली क्षेत्र के बाहर स्थित जोनल इकाई के लिए आवंटित हैं प्रतिनियुक्ति की पद्धति अनन्य रूप से है। टिप्पण 2 :—प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु निरीक्षण महानिदेशालय और विभागाध्यक्ष के संबंधित काडर इकाई द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।				
13	14				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

7

1	2	3	4	5
7. ज्येष्ठ गेस्टेटर आपरेटर	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित	3050-75-3950- 80-4590 रु.	अचयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : निरीक्षक महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क और उनकी काडर ईकाइयों में ऐसे गैस्टेटर आपरेटर (साधारण श्रेणी) में से जिसने गैस्टेटर आपरेटर (साधारण श्रेणी) के रूप में चार वर्ष नियमित सेवा की हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
1. निरीक्षणक महानिदेशक .	—अध्यक्ष
2. अपर निदेशक (प्रशासन)	—सदस्य
3. उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य
4. सहायक आयकर आयुक्त	—सदस्य

टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5
8. अभिलेखापाल	19* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित	2750-70-3800- 75-4400 रु.	अचयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	निरीक्षक महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और उनकी काडर ईकाई में ऐसे गैस्टेटर आपरेटर (सा. श्रेणी) और दफ्तरी में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने चार वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न होने पर गैस्टेटर (सा. श्रे.) या दफ्तरी और उसके काडर प्रवर्ग के रूप में मिलाकर दस वर्ष सेवा की हो साथ अंग्रेजी या हिन्दी में लिपिकीय कार्य नियमित रूप से हथालन में समर्थ हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के आयुक्तालय में ऐसे अभिलेखापाल/हवलदार में से जो अंग्रेजी या हिन्दी में लिपिकीय कार्य नियमित हथालन में समर्थ हो। टिप्पण-1—उन पदों के लिए जो कि दिल्ली क्षेत्र के बाहर स्थित जोनल ईकाई के लिए आवंटित हैं, प्रतिनियुक्ति की पद्धति अनन्य रूप से है। टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु निरीक्षण महानिदेशालय और विभागाध्यक्ष के संबंधित ईकाई द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY					[PART II—SEC. 3(i)]
8		13			14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—				लागू नहीं होता	
1.	निरीक्षणक महानिदेशक	—अध्यक्ष			
2.	अपर निदेशक (प्रशासन)	—सदस्य			
3.	उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य			
4.	सहायक आयकर आयुक्त	—सदस्य			
टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।					
1	2	3	4	5	6
9.	ड्राइवर विशेष श्रेणी	3* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसूचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन लागू नहीं होता
7	8		9	10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
11		12			
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : निरीक्षक महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और उनकी काडर इकाई में श्रेणी 1 ड्राइवरों से जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है।			
13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—				लागू नहीं होता	
1.	निरीक्षणक महानिदेशक	—अध्यक्ष			
2.	अपर निदेशक (प्रशासन)	—सदस्य			
3.	उपनिदेशक (प्रशासन)	—सदस्य			
4.	सहायक आयकर आयुक्त	—सदस्य			
टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।					

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9

1	2	3	4	5	6
10. ड्राइवर श्रेणी-I	20* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसन्धिवीय	4500-125- 7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	

11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : निरीक्षण महाविभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और उसके काडर इकाई में श्रेणी-II ड्राइवर से जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की हो और नीचे विहित समुचित स्तर की व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (i) अंग्रेजी के अंकों और आंकड़ों को पढ़ने के लिए योग्य हो; (ii) ट्रेफिक विनियमों का पूर्ण ज्ञान हो; (iii) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण का अच्छा ज्ञान हो और छोटी मोटी त्रुटियों को सुधारने के योग्य हो; (iv) कारबुरेटर प्लग को ठीक करने में योग्य हो आदि। टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके उच्च व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. निरीक्षणक महानिदेशक —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (प्रशासन) —सदस्य 3. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य 4. सहायक आवक आनुक्त —सदस्य टिप्पणी : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
11. ड्राइवर श्रेणी-II	17* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसन्धिवीय	4000-100- 6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	

10		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY		[PART II—SEC. 3(i)]	
11		12			
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : निरीक्षण महानिदेशालय, केन्द्रीय ड्राइव शुल्क और सीमा शुल्क और उसके काडर इकाई में ऐसे ड्राइवर (साधारण श्रेणी) से जिन्होंने नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने नीचे विनिर्दिष्ट स्तर की व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण किया हो (i) अंग्रेजी के अंकों और आंकड़ों को पढ़ने के लिए योग्य अवश्य हो; (ii) त्रुटियों को दूर करने तथा चालन की मरम्मत करने के योग्य अवश्य हो; (iii) ट्रेफिक विनियमों का अच्छा ज्ञान अवश्य हो। टिप्पण : ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे प्बेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है।			
13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता।			
1. निरीक्षणक महानिदेशक		—अध्यक्ष			
2. अपर निदेशक (प्रशासन)		—सदस्य			
3. उपनिदेशक (प्रशासन)		—सदस्य			
4. सहायक आयकर आयुक्त		—सदस्य			
टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।					
1	2	3	4	5	6
12. ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	17* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसन्धिवीय	3075-75-3950-80-4950 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
7	8	9	10		
23-30 वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	आवश्यक : मोटरकार के लिए विधिमन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण करता हो मोटर यांत्रिकी का ज्ञान और मोटरकार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
टिप्पण : आयु-सीमा उपासित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		वांछनीय: मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से आठवां स्तर उत्तीर्ण।			

11	12
आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन : निरीक्षक महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और उसके काडर इकाई में ऐसे नियमित स्टाफ कार ड्राइवरों और समूह 'घ' कर्मचारियों में से आवश्यक समझी जाने वाली सक्षमता के मानक के प्रतिनिर्देश के पद के लिए उपयुक्तता की जांच के परिणामों के आधार पर जिनके पास स्तंभ 8 में की अर्हताएं हैं अथवा अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार ड्राइवर के पद धारण करने वाले व्यक्तियों के आमेलन द्वारा। टिप्पण : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट आयु-सीमा अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित होगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सभिति :— 1. निरीक्षणक महानिदेशक —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (प्रशासन) —सदस्य 3. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य 4. सहायक आयकर आयुक्त —सदस्य टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
13. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	72* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
28 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिंदी अनिवार्य/ऐच्छिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय रहे हो या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी	लागू नहीं होता	दो वर्ष

7	8	9	10
स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	या अंग्रेजी से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में बैचलर डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय रहे हो या दोनों में से परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय रहा है। और साथ ही हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।		

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या स्थानांतरण या सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या स्थानांतरण केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से जो निम्नलिखित धारण करते हैं— (क) (i) सदृश पद; या (ii) 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो; और (iii) 3050-4590 के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अधिकतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं धारण करता हो। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाल्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. निरीक्षणक सहानिदेशक —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (प्रशासन) —सदस्य 3. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य 4. सहायक आमकर आयुक्त —सदस्य टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
14. हेड हवलदार	19* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12			
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	निरीक्षण महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क और उसकी काडर ईकाई में ऐसे हवलदारों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने हवलदार के रूप में 3 वर्ष सेवा की हो।			
13	14			
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—			लागू नहीं होता	
(i) अपर निदेशक	—अध्यक्ष			
(ii) दो सहायक निदेशक, (प्रशासक)	—सदस्य			
(iii) आयकर अधिकारी	—सदस्य			
टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।				

1	2	3	4	5
15. हवलदार	38* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित अननुसचिवीय	2750-70-3800-75-4400 रु.	लागू नहीं होता
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12			
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	निरीक्षण महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क और उसकी काडर ईकाई में ऐसे सिपाहियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने सिपाही के रूप में 3 वर्ष सेवा की हो।			
13	14			
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—			लागू नहीं होता	
(i) अपर निदेशक	—अध्यक्ष			
(ii) दो सहायक निदेशक, (प्रशासक)	—सदस्य			
(iii) आयकर अधिकारी	—सदस्य			
टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।				

1	2	3	4	5	6
16. सिपाही	63* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ब" अराजपत्रित, अननुसचिबीय	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आठवां स्तर उत्तीर्ण टिप्पण—अभ्यर्थियों का शारीरिक मान और उनसे ऐसी शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :— पुरुष अभ्यर्थियों के लिए : शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊँचाई—157.5 सें.मी० (गढ़वाली, असमी, गोरखा, और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 सें.मी० शिथिल की जा सकती है।) सीना—81 सें.मी० (पूरा फुलाने पर कम से कम 5 सें.मी० अधिक फुलता हो।) शारीरिक परीक्षण : चलना—15 मिनट में 1600 मीटर साइकिल चलाना—30 मिनट में 8 कि.मी. महिला अभ्यर्थियों के लिए :— शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊँचाई—152 सें.मी० वजन—48 कि. ग्रा. (गोरखा, गढ़वाली, असमी, और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 2.5 सें.मी० ऊँचाई और 2 कि. ग्रा. भार शिथिल किया जा सकता है।) शारीरिक परीक्षण : चलना—20 मिनट में 1 कि.मी. साइकिल चलाना—25 मिनट में 3 कि.मी.	लागू नहीं होता	2 वर्ष		
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।					
11	12				
66.66 % प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 33.33 % आमेदन द्वारा	आमेदन : निरीक्षण महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और उसकी काडर ईकाई में चपरासी, फराश, सफाईवाला, माली और अन्य समूह "ब" कर्मचारियों के काडर में से (परन्तु ऐसे समूह "ब" कर्मचारियों द्वारा धारित पदों के वेतनमान वही हैं जो कि फराश, चौकीदार, सफाईवाले या मालियों के हैं) जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगी, अर्थात् :— (i) कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा में रखे गये होंगे।				

12

(ii) वे कम से कम प्रारंभिक साक्षरता किए हुए हों, और हिन्दी या अंग्रेजी या एक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने की योग्यता के परीक्षण के माध्यम से सबूत देते हों; और

(iii) वे पैंतालिस वर्ष की आयु से कम हों और ऐसा शारीरिक मानदंड और स्तंभ 8 में अधिकथित शारीरिक परीक्षण को उत्तीर्ण करते हों।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के आयुक्तालय में सिपाहियों में से।

टिप्पण 1 : उन पदों के लिए जो कि दिल्ली क्षेत्र के बाहर स्थिति जोनल इकाई के लिए आवंटित हैं, प्रतिनियुक्ति की पद्धति अनन्य रूप से हैं।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु निरीक्षण महानिदेशालय और विभागाध्यक्ष के संबंधित काडर इकाई द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

13

लागू नहीं होता

14

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
17. दफ्तरी	6* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित	2610-60-2910- 65-3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8

लागू नहीं होता

9

लागू नहीं होता

10

लागू नहीं होता

11

प्रोन्नति द्वारा

12

निरीक्षण महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ऐसे सफाईवाला, फराश, माली और चपरासी में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने काडर इकाई में 4 वर्ष सेवा की हो।

13

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

14

लागू नहीं होता

- (i) अपर निदेशक —अध्यक्ष
(ii) दो सहायक निदेशक, (प्रशासक) —सदस्य
(iii) आयकर अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
18. गेस्टेटर	9* (2004) आपरेटर *(कार्यभार के आधार पर श्रेणी) परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", अराजपत्रित	2610-60-2910- 65-3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	निरीक्षण महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के ऐसे सफाईवाला, फराश, माली और चपरासी में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने काडर ईकाई में 4 वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास, गेस्टेटर मशीन के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता है।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता

- (i) अपर निदेशक —अध्यक्ष
(ii) दो सहायक निदेशक, (प्रशासक) —सदस्य
(iii) आयकर अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
19. चपरासी	41* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बल-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
मिडिल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	2 वर्ष
11	12	
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	

13							14						
लागू नहीं होता							लागू नहीं होता।						
1	2	3	4	5	6	7							
20. सफाई- वाला	14 (2004)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।							
8							9						
प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण							लागू नहीं होता						
11							12						
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा							लागू नहीं होता						
13							14						
लागू नहीं होता							लागू नहीं होता।						
1	2	3	4	5	6	7							
21. फर्माश	4 (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में							

7

अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	2 वर्ष
11	12	
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
13	14	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	

1	2	3	4	5	6	7
22. माली	1 (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ब" अराजपत्रित	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

[फा.सं.ए.-12018/19/2003-प्रश्ना. III (बी)]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th July, 2004

NOTIFICATION

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of The Directorate General of Inspection (Customs and Central Excise) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts in the Directorate of Inspection (Customs and Central Excise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of the Inspection (Customs and Central Excise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, Age Limit, Educational Qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Initial Constitution.—

(A) Senior Tax Assistant : (i) All the persons appointed on regular basis at the time of commencement of these rules to the Grade of Assistant shall be deemed to have been appointed as Senior Tax Assistants under these rules. The service rendered by them before commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to next higher grade.

(ii) The present employees would be required to pass the required or suitable departmental examination, as specified by the Competent Authority, from time to time, in Computer application and relevant procedures within two years failing which they would not be eligible for further increments.

(B) Tax Assistant (i) The persons appointed on the regular basis and holding the post of Upper Division Clerks on the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed as Tax Assistants under these rules and the service rendered by such persons in the respective posts before commencement of these rules shall be taken into account as regular service rendered on the post of Tax Assistant for the purpose of promotion etc.

(ii) Any person, who holds a post of lower Division Clerk on regular basis and falls within the seniority list as determined by the appointing authority at the commencement of these rules shall, on passing the Departmental Computer Proficiency examination conducted by the appointing authority, be deemed to have been promoted with effect from date of passing such examination on the post of Tax Assistant.

(iii) The Upper Division Clerks shall be placed en-block senior. Lower Division Clerks shall be placed below Upper Division Clerks.

6. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
1. Senior Tax Assistant	55* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Services Group 'C', (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

11

12

100% by promotion

Promotion :

Tax Assistant with 3 years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by Competent Authority from time to time in computer application and relevant procedures.

Note : If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that Grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

Director General of Inspection

— Chairman

Additional Director (Administration)

— Member

Deputy Director (Administration)

— Member

Assistant Commissioner of Income Tax

— Member

Note : Where none of the officer above belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
2. Tax Assistant	82* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Services Group 'C', (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
20-27 years (relaxable up to 35 years for Government Servants working in the Department in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Minimum educational qualification of Graduation in any discipline from any recognised University; should possess a Data Entry Speed of 8000 key depression per hour.	Not applicable	2 Years

11	12				
90% by Direct Recruitment 10% by promotion	Promotion : From amongst the Lower Division Clerks and Head Havaldars who have rendered 7 years of service in the Grade on regular basis and possess the following qualifications, namely :— (a) Matriculation or equivalent qualification from a recognized institution, and (b) Data Entry Speed of 5000 key depression per hour and passed the departmental examination with knowledge of typing in Hindi or English at a speed of 25 wpm and 30 wpm respectively.				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee : Directorate General of Inspection — Chairman Additional Director (Administration) — Member Deputy Director (Administration) — Member Assistant Commissioner of Income Tax — Member Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable				
1	2	3	4	5	6
3. Lower Division Clerk	12* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Services Group 'C', (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years		
11	12				
100% by promotion	(i) 50 % of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havaldars on the basis of seniority-cum-fitness who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years regular service in the grade, without any age limit. (ii) 50% of vacancies shall be filled up by promotion from amongst Sepoys, and Havaldars who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years of service in the grade of Sepoy, Havaldar and feeder cadres thereto on the basis of a Departmental qualifying examination with typing test with minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting. Note : (a) The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes); (b) The unfilled vacancies pertaining to a particular year under clause (ii) shall not be carried over; (c) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.				

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
Directorate General of Inspection — Chairman	
Additional Director (Administration) — Member	
Deputy Director (Administration) — Member	
Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
4. Deputy Office Superintendent Level II	17* (2004) * Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non- selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12	13	14
100% deputation	Transfer on Deputation from amongst officers of the rank of Deputy Office Superintendent Level II or Senior Tax Assistant working in the Commissionerates of Central Excise and Customs in the scale of pay Rs. 5000-8000. Note : Period of Deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable up to 5 years by Directorate General of Inspection and Head of Department of respective Cadre Units	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
5. Stenographer Grade-II	25* (2004) *Subject to variation dependent on workload	Central Civil Services, Group 'C' (Non-Gazetted), Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non- selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

II	12				
100% by promotion, failing which by deputation	Promotion from amongst Stenographer Grade-III in the Directorate General of Inspection and its Cadre Units with 5 years regular service as Stenographer Grade-III. Transfer on Deputation from Amongest (i) Officers of the rank of Stenographer Grade-II working in the Commission-rates of Central Excise and Customs in the scale of pay Rs. 5000-8000; (ii) Officers with 5 years of regular service in the grade of rank of Stenographer Grade-III working in the Commission-rates of Central Excise and Customs in the scale of pay Rs. 4000-6000 and possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (English or Hindi) and 40 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting. Note 1: Method of deputation is exclusively for those posts which are allocated for Zonal Units situated at outside Delhi Region. Note 2 : Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable upto 5 years by Directorate General of Inspection and Head of Department of respective Cadre Units.				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(i) Director General of Inspection		—	Chairman		
(ii) Additional Director (Administration)		—	Member		
(iii) Deputy Director (Administration)		—	Member		
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax		—	Member		
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.					
1	2	3	4	5	6
6. Stenographer Grade-III	20* (2004) * Subject to variation dependent on workload	Central Civil Services, Group 'C', (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable
7	8	9	10		
18—25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent. (ii) A speed of 80 words per minute in English or Hindi shorthand and 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.	Not applicable	2 years		

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

25

11			12		
By direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by deputation.			Transfer on Deputation from officers of the rank of Stenographer Grade-III working in the Commissionerates of Central Excise and Customs in the pay scale of Rs. 4000-6000 and possessing a speed 80 words per minute in Stenography (English or Hindi) and 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting. Note 1: Method of deputation is exclusively for those posts which are allocated for Zonal Units situated at outside Delhi Region. Note 2 : Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable upto 5 years by Directorate General of Inspection and Head of Department of respective Cadre Units.		
Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.					
13			14		
Not applicable			Not applicable		
1	2	3	4	5	6
7. Senior Gestetner Operator	1* (2004) *Subject to change depending on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-selection	Not applicable
7	8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11			12		
100% by promotion			Promotion : From amongst Gestetner Operator (Ordinary Grade) in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units with 4 years regular service as Gestetner Operator (Ordinary Grade)		
(13)			(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(i) Directorate General of Inspection			— Chairman		
(ii) Additional Director (Administration)			— Member		
(iii) Deputy Director (Administration)			— Member		
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax			— Member		
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.					

1	2	3	4	5	6
8. Record Keeper	19*(2004) *(Subject to change depending on workload).	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted;	Rs. 2750-75-4400	Non-selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11	12				
50% by promotion 50% by deputation	Promotion from amongst gestetner Operators (OG) and Daftry in the Directorate General of Inspection, Central Excise & Customs and its Cadre Units with 4 years regular service, failing which 10 years service put together as Gestetner Operator (OG) or Daftry and feeder cadets thereto and capable of handling routine clerical jobs in English or Hindi. Deputation : From amongst Record Keepers/ Havalgars in the commissionerates of Central Excise and Customs who are capable of handling routine clerical jobs in English or Hindi. Note 1: Method of deputation is exclusively for those posts which are allocated for Zonal Units situated at outside Delhi Region. Note 2 : Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable upto 5 years by Directorate General of Inspection and Head of Department of respective Cadre Units.				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(i) Directorate General of Inspection	— Chairman				
(ii) Additional Director (Administration)	— Member				
(iii) Deputy Director (Administration)	— Member				
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax	— Member				
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.					
1	2	3	4	5	6
9. Driver (Special Grade)	3*(2004) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion : From the Grade I Drivers in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units with three years regular service. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher cadre along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Director General of Inspection — Chairman (ii) Additional Director (Administration) — Member (iii) Deputy Director (Administration) — Member (iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member Note : Where none of the officer belongs to the Schedule Castes or Schedule Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
10. Driver Grade-I	20* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Non-selection	Not applicable
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion : From the Grade II Drivers in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units with six years regular service who have passed a trade test of appropriate standard as prescribed below : (i) Must be able to read English Numerals and figures; (ii) Must have a thorough knowledge of Traffic Regulations; (iii) Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; (iv) must be able to clear carburetor plug, etc. Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher cadre along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee :		Not applicable			
Director General of Inspection		— Chairman			
Additional Director (Administration)		— Member			
Deputy Director (Administration)		— Member			
Assistant Commissioner of Income Tax		— Member			
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.					
1	2	3	4	5	6
11. Driver Grade-II	17* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non selection	Not applicable
7	8	9		10	
Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable	
11	12				
100% by promotion	Promotion : From the Drivers (Ordinary Grade) in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units with nine years regular service who have passed a trade test of appropriate standard as specified below : (i) Must be able to read English Numerals and figures; (ii) Must be able to locate faults and carry out minor running repairs; (iii) Must have good knowledge of Traffic Regulations; Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher cadre along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee :		Not applicable			
Director General of Inspection		— Chairman			
Additional Director (Administration)		— Member			
Deputy Director (Administration)		— Member			
Assistant Commissioner of Income Tax		— Member			
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.					

1	2	3	4	5	6
12. Driver Ordinary Grade	17* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Not applicable	Not applicable
7	8	9	10		
23-30 years (Relaxable upto 35 years in the case of Government Servants and upto 40 years for departmental candidates, in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).	Essential : Possession of a valid driving licence for motor cars. Knowledge of motor mechanics and experience in driving a motor car for at least five years.	Not applicable	2 years		
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)	Desirable : Passed VIII standard from recognized Board or Institution.				
11	12				
By absorption, failing which by direct recruitment.	Absorption : On the results of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in driving of staff cars from amongst regular and Group "D" employees in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units possessing qualifications in column 8 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Department. Note : The Candidates will be required to confirm to such age limits as may be specified by the Central Board of Excise and Customs from time to time.				

13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
Director General of Inspection		— Chairman			
Additional Director (Administration)		— Member			
Deputy Director (Administration)		— Member			
Assistant Commissioner of Income Tax		— Member			
Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.					
1	2	3	4	5	6
13. Junior Hindi Translator	72* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Not applicable	Not applicable
7	8	9	10		
28 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Master's degree of a recognised University in Hindi/English, with English/Hindi as a compulsory/elective subject to or as medium of examination at degree level.	Not applicable	Two Years		
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.					
OR					
Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English an compulsory or elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.					
OR					
Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level.					
OR					
Bachelor's degree of a recognized University, with Hindi and English as compulsory or selective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject, plus a recognized Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government Offices, including Government of India Undertakings.					

11	12
By transfer on deputation or transfer or by direct recruitment.	Transfer on deputation or transfer : From amongst Central Government Officers holding :— (a)(i) analogous posts; or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-6000 or equivalent with 3 years regular service in the grade; and (iii) posts in the pay scale of Rs. 3050-4590 or equivalent with 5 years regular service in the grade; and (b) possessing educational and other qualifications laid down in Column 8 for direct recruits. Note : Period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee: Director General of Inspection — Chariman Additional Director (Administration) — Member Deputy Director (Administration) — Member Assistant Commissioner of Income Tax — Member Note : Where none of the officer belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
14. Head Havaladar	19* (2004) *(Subject to variation dependent on workload).	Central Civil, Services, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion : From amongst havalendars in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units with 3 years regular service as Havaladar.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee: (i) Additional Director (Administration) — Chariman (ii) Two Assistant Directors — Member (iii) Income-Tax Officer — Member Note : Where none of the officer belongs to Scheduleddd Casts or Scheduleddd Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

1	2	3	4	5	6
15. Havaldar Havaldar	38* (2004) *(Subject to variation dependent on workload).	Central Civil, Services, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70- 3800-75-4400	Not applicable	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion.	Promotion from amongst Sepoys in the Directorate General of Inspection, Central Excise and Customs and its Cadre Units with 3 years regular service as Sepoy.				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee:				Not applicable	
(i) Additional Director (Administration)				— Chariman	
(ii) Two Assistant Directors				— Member	
(iii) Income-Tax Officer				— Member	
Note : Where none of the officer belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Sepoy	63* (2004) *Subject to variation dependent on work load	Central Civil Services Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2610-60-2910- 65-3300-70-4000	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)			
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Govern- ment).	Middle Standard.				Not applicable
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Note :—Candidates will be required to possess the Physical Standards and pass physical test as specified below, namely :— For Male Candidates				
	Physical Standard (minimum)				
	Height—157.5 cms. (relaxable by 5 cms. in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes)				

(7)	(8)
In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked.	Chest—81 cms. (fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) Physical Test : Walking—1600 metres in 15 minutes Cycling—8 kms. in 30 minutes. For Female Candidates : Physical Standard (Minimum) Height—152 cms. Weight—48 kgs. (Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. For Garhwalis, Assemese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes). Physical Test : Walking—1 km. in 20 minutes Cycling—3 kms. in 25 minutes.

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2 years	66.66% by direct recruitment, failing which by deputation. 33.33% by absorption	Absorption : From the cadre of Peon, Farash, Safaiwala, Malis and other Group 'D' employees, (provided the pay scale of the posts held by such Group 'D' employees is the same as that of Farashes, Chowkidars, Safaiwalas or Malis) in the Directorate General of Inspection, Central Excise & Customs and its Cadre Units subject to the following conditions, namely :— (i) they shall have put in at least five years regular service. (ii) they should possess at least elementary literacy and give proof through a test of ability to read either Hindi or English or a regional language; and (iii) they are below Forty Five years of age and possess such physical standards and pass such physical tests as laid in column 8. Deputation : From amongst Sepoys in Commissionerates of Central Excise and Customs. Note 1 : Method of deputation is exclusively for those posts which are allocated for Zonal Units situated at outside Delhi Region. Note 2 : Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable upto 5 years by Directorate General of Inspection and Head of Department of respective Cadre Units.	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Daftry	6*(2004) *Subject to change depending on workload	General Central Services Group 'D' (Non-Gazetted)	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

(12)	(13)			(14)	
Promotion from amongst Safaiwala, Farash, Mali and Peon in the Directorate General of Inspection, Customs and Central Excise and its Cadre Units with 4 years service.	Group 'D' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director (Administration)—Chairman (ii) Two Assistant Directors—Members (iii) Income-Tax Officer—Member Note :— Where none of the officer belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Gestetner Operator (OG)	9*(2004) *Subject to variation depending on work load.	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion	
(12)	(13)			(14)	
Promotion from amongst Safaiwala, Farash, Mali and Peon in the Directorate General of Inspection, Customs and Central Excise and its Cadre Units with 4 years service and who have proficiency in operating and maintaining Gestetner Machines.	Group 'D' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director (Administration)—Chairman (ii) Two Assistant Directors—Members (iii) Income-Tax Officer—Member Note :— Where none of the officer belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. Peon	41*(2004) *Subject to variation depending on work load.	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Non-selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Middle Standard Pass	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.					

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Safaiwala	14*(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Services Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Non applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Primary School Standards Pass	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall be the last upto which the Employment Exchanges are asked.				

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Farash	4*(2004) *Subject to variation depending on work load.	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Non applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Primary School Standard Pass	Not applicable	2 years	100% by direct recruitment
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.				

(12)		(13)		(14)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. Mali	1*(2004) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable
(7)		(8)		(9)	
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.		(i) Primary School Standard Pass. (ii) Working knowledge of gardening or Horticulture with two years experience as Mali.		Not applicable	2 years
(12)		(13)		(14)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable.	

[F. No. A-12018/19/2003-Ad. III(B)]

S.K. THAKUR, Under Secy.